पत्रांक-अ0स0क0 06-02/2013......./

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

महालेखाकार, बिहार
पटना ।

पटना, दिनांक :- ....

विषयः- **केन्द्र प्रायोजित प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत केन्द्रांश) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 का छात्रवृत्ति भुगतान हेतु इस योजना में पूर्व से उपलब्ध अव्यवहृत (Unspent) राशि से समायोजित के रूप में कुल रू0 7,58,43,716/- (सात करोड़ अंठावन लाख तेतालीस हजार सात सौ सोलह) रूपये मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा आवंटन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 11/28/2014-एस0एस0 दिनांक 30.12.2014 के द्वारा प्री- मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष (2014-15) में इस योजना में पूर्व के वर्षो से अव्यवहृत (Unspent) राशि में से कुल रु० 18,26,95,491/- के समायोजन की अनुमति दी गई है जिसमें से रू0 **7,58,43,716/- (सात करोड़ अंठावन लाख तेतालीस हजार सात सौ सोलह)** रूपये मात्र की राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

क्रमांक	जिला का नाम	नवीन लाभार्थी की संख्या	नवीकरण लाभार्थी की संख्या	आवंटित राशि (नवीन)	आवंटित राशि (नवीकरण)	**कुल आवंटित राशि (5+6)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	अररिया	14338	13	19752225	45000	**19797225**
2	पूर्णियाँ	9391	171	28055100	919000	**28974100**
3	सीतामढ़ी	19961	1975	24869641	2202750	**27072391**
	कुल	**43690**	**2159**	**72676966**	**3166750**	**75843716**

कुल केन्द्रांश रूपये (सात करोड़ अंठावन लाख तेतालीस हजार सात सौ सोलह) रुपये मात्र

2. केन्द्रांश की राशि योजना बजट् मुख्यशीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुंख्य शीर्ष 02- माध्यमिक शिक्षा, लघुशीर्ष 107- छात्रवृत्तियॉं, मांग संख्या-30, उपशीर्ष 0210- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम विपत्र कोड P2202021070210, विषय शीर्ष 34 01 छात्रवृत्ति/ वजीफा के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय है ।

3. उपर्युक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होगें जो संलग्न लाभार्थी सूची के अनुरूप राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करेंगे ।

4. राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म 43 एवं कोषागार की धारा 272 के आलोक में fully vouched bill के रूप में की जायेगी । अग्रिम निकासी किसी भी स्थिति में नही होगी ।

कृ०पृ०उ०....

5. इस राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटनादेश की आवश्यकता नही है ।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि0 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन
ह0/-
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- ....   पटना, दिनांक :- ....

प्रतिलिपिः- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया, पूर्णियाँ एवं सीतामढ़ी को केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या-11/28/2014-एस0एस0 दिनांक 30.12.2014 की छायाप्रति एवं संबंधित जिला के लाभार्थी की सूची सहित केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक लाभार्थियों के वित्तीय वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि अन्य विभाग से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है ।

ह0/-
अनु0:- यथोक्त ।   सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 29   पटना, दिनांक :- 21.04.15

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, अररिया, पूणियाँ एवं सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव
21.4.15